	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 07, गुरूवार, *शाके* 1941–नवम्बर 28, 2019 *Agrahayana 07, Thursday, Saka 1941–November 28, 2019*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, नवम्बर 27, 2019

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5453:-सां. आ. 128/2019 - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17 के उप नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए ऐसे विशेष या साधारण निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम रूप से यथा प्रकाशित नामावली की एक प्रति संशोधनों सहित, यदि कोई हो तो, की सूची के साथ उस प्रत्येक राजनैतिक दल को नि:शुल्क कराई जाएगी जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राज्य में मान्यता प्राप्त है।

उक्त नियम 17(3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अन्तर्गत राज्य में मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी :-

1. प्रारूप निर्वाचक नामावलियों (Draft Electoral Rolls) की केवल सॉफ्ट कॉपी (फोटो रहित) ही उपलब्ध कराई जाए।
2. अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति हार्डकॉपी (फोटोयुक्त) में उपलब्ध कराई जाए।
3. अंतिम प्रकाशन के पश्चात् यदि कोई पूरक/संशोधन सूचियां तैयार की जाती है, तो ऐसी पूरक/संशोधन सूचियों की फोटोयुक्त एक प्रति भी हार्डकॉपी में उपलब्ध कराई जाए।

आज्ञा से,
श्याम सिंह राजपुरोहित,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।